ISSN – 2277-7911
Impact Factor – 5.077
YOUNG RESEARCHER
A Multidisciplinary Peer-Reviewed Refereed Research Journal
Oct-Nov -Dec 2022
Vol. 11 No. 4

भारत में धर्मांतरण: मुद्दे और आलोचनाएँ

डॉ. संजीव कुमार राकेश

पीएच.डी. (फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस), मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया, बिहार

***Corresponding Author:** डॉ. संजीव कुमार राकेश*

DOI - 10.5281/zenodo.15364156

शोधसार:

धर्म परिवर्तन को कैसे परिभाषित किया जाता है?

भारत में धार्मिक रूपांतरण का तात्पर्य धार्मिक संबद्धता में परिवर्तन से है, जो अक्सर विश्वास, व्यवहार और कभी-कभी सामुदायिक पहचान में परिवर्तन के साथ होता है। भारतीय संविधान धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है; हालाँकि, जब धर्मांतरण सामाजिक-आर्थिक लाभों से जुड़ा होता है, जैसे कि जाति-आधारित आरक्षण, तो यह विवादास्पद हो जाता है। प्रामाणिकता से संबंधित मुद्दे अक्सर न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धर्मांतरण अवसरवादी उद्देश्यों के आधार पर नहीं बल्कि आस्था के आधार पर हो। जबरदस्ती, प्रलोभन या धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले धर्मांतरण अत्यधिक विवादास्पद होते हैं और संवैधानिक और राज्य-विशिष्ट धर्मांतरण विरोधी कानूनों दोनों के तहत निपटाए जाते हैं ताकि सामाजिक सद्भाव को बाधित किए बिना व्यक्तिगत पसंद को बनाए रखा जा सके। जबरन धर्म परिवर्तन को किसी व्यक्ति को जबरदस्ती, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव या प्रलोभन के माध्यम से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें स्वतंत्र इच्छा का तत्व समाप्त हो जाता है। भारत में कानूनी प्रणाली और न्यायिक मानदंड यह सुनिश्चित करते हैं कि धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत पसंद का मामला बना रहे, जो वास्तविक विश्वास और इच्छा से निर्देशित हो। जबरन धर्म परिवर्तन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव को बाधित करता है, इसलिए सख्त कानूनी जांच और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।

परिचय:

भारत में धर्म परिवर्तन के संवैधानिक प्रावधान (As per Gamben, G. (2005). State of exception. University of Chicago Press.)

भारत का संविधान कई अनुच्छेदों के माध्यम से धार्मिक स्वतंत्रता की दृढ़ता से रक्षा करता है:

- **अनुच्छेद 25**: अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार सार्वजनिक

व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन होगा।

- **अनुच्छेद** 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है।
- **अनुच्छेद** 16: यह सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान करता है तथा धर्म सहित किसी भी आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।
- **अनुच्छेद** 29: अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार संरक्षित हैं।
- **अनुच्छेद** 30: अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है।

ये सभी प्रावधान सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं तथा इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए एक ढांचा तैयार करते हैं।

चुनौती:

सरला मुद्गल बनाम भारत संघ 1995:

भारत की विविधता की समृद्ध ताने-बाने को धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी द्वारा समर्थित किया जाता है। हालाँकि, धार्मिक रूपांतरण के संवेदनशील मुद्दे, विशेष रूप से आरक्षण और सामाजिक लाभों के संदर्भ में, ने एक महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक प्रवचन बनाया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले से यह बयानबाजी और भी ज़ोरदार हो गई है, जिसने धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को केवल आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जबकि इसमें कोई वास्तविक विश्वास नहीं है, इसे "संविधान के साथ धोखाधड़ी" करार दिया। यह विस्तृत लेख भारत में धार्मिक रूपांतरण प्रक्रिया के सभी पहलुओं पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिसमें संवैधानिक गारंटी से लेकर न्यायिक निर्णय, धर्मांतरण विरोधी कानून और ऐतिहासिक निर्णय शामिल हैं।

समाधान:

धर्म परिवर्तन से संबंधित वर्तमान मुद्दे:

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला सी. सेल्वरानी से जुड़ा था, जिन्होंने अनुसूचित जाति आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए ईसाई धर्म से हिंदू धर्म अपनाने का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के पहले के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उन्हें इस आधार पर अनुसूचित जाति का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था कि उनका धर्म परिवर्तन किसी सच्चे विश्वास पर आधारित नहीं था। उन्होंने ईसाई धर्म का पालन करना जारी रखा, जैसा कि साक्ष्यों से पता चलता है। यह मामला भारत में धार्मिक पहचान और सामाजिक अधिकारों से संबंधित समस्याग्रस्त मुद्दों पर प्रकाश डालता है।

सामग्री और तरीके:

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति आर. महादेवन ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता का दोहरा दावा- ईसाई धर्म को स्वीकार करना और हिंदू अनुसूचित

जाति के लाभों का दावा करना-अस्वीकार्य है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि धर्म परिवर्तन के पीछे की मंशा महत्वपूर्ण थी। तथ्य यह है कि सेल्वरानी हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करती थी और नियमित रूप से चर्च जाती थी, जिससे उसका दावा कपटपूर्ण हो गया। इस प्रकार, यह निर्णय धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में सच्चे विश्वास के महत्व पर जोर देता है, जो आरक्षण प्रणाली की अखंडता पर न्यायालय के रुख को भी दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना कि बिना किसी वास्तविक विश्वास के केवल आरक्षण लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करना "संविधान के साथ धोखाधड़ी" के समान है, एक महत्वपूर्ण रुख है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण नीतियों का उद्देश्य वास्तव में हाशिए पर पड़े समुदायों का उत्थान करना है, और इन प्रावधानों का कपटपूर्ण धर्मांतरण के माध्यम से शोषण करना उनके इरादे और अखंडता को कमजोर करता है। सेल्वरानी के मामले में, साक्ष्य प्रस्तुत किए गए कि उनकी गतिविधियाँ ईसाई थीं, हालाँकि वे सुप्रीम कोर्ट से लाभ पाने के लिए हिंदू होने का दावा कर रही थीं। यानी, निर्णय यह था कि धर्म परिवर्तन करते समय धार्मिक विश्वास की वास्तविकता की आवश्यकता होती है और परिणामस्वरूप, सामाजिक लाभों के लिए पात्र बनना होता है। ये सभी प्रावधान सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं तथा इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए एक ढांचा तैयार करते हैं।

जबरन धर्म परिवर्तन और धार्मिक धर्म परिवर्तन के बीच अंतर (As per Amnesty International. (2016). Island of despair: Australia's 'processing' of refugees on)

जबरन और स्वैच्छिक धर्मांतरण के बीच मुख्य अंतर सहमति और इरादे में निहित है:

- जबरन धर्म परिवर्तन: इसमें जबरदस्ती, धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव शामिल होता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति की स्वतंत्र और इच्छुक सहमति के बिना धर्म परिवर्तन होता है। ऐसे धर्म परिवर्तन कानूनी रूप से शून्य और अमान्य हैं।
- स्वैच्छिक धर्मांतरण: यह दृढ़ विश्वास, स्वतंत्र इच्छा और व्यक्तिगत पसंद पर आधारित है। कानून इसे व्यक्ति की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के रूप में सम्मान और मान्यता देता है।

वे धर्मांतरण पर बाहरी तत्वों के प्रभाव के बजाय, इसकी सच्ची धार्मिक आस्था के माध्यम से प्रक्रिया की प्रामाणिकता को रेखांकित करते हैं।

धर्म परिवर्तन पर ऐतिहासिक निर्णय:

भारत में धर्म परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय निम्नलिखित हैं:

रेव. स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1977):

इसे एक ऐतिहासिक मामला माना जाता है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश और ओडिशा के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया। न्यायालय ने माना कि धर्म का प्रचार करने के अधिकार में किसी

व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसका धर्म परिवर्तन करने का अधिकार शामिल नहीं है, जिससे जबरन धर्मांतरण को विनियमित करने में राज्य की भूमिका को बरकरार रखा गया।

लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2000):

न्यायालय ने दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन करके पुनर्विवाह करने के मामले पर विचार किया। न्यायालय ने ऐसे धर्म परिवर्तन को अमान्य माना क्योंकि माना जाता है कि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में कोई आस्था शामिल नहीं है। इस निर्णय ने सुनिश्चित किया कि विवाह और सभी कानूनी दायित्व धार्मिक दायरे में ही रहें। बहुविवाह की वासना को संतुष्ट करने के गुप्त उद्देश्य से हिंदू पर्सनल लॉ से बचने के लिए धर्मांतरण के अधिकार का दुरुपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि स्वार्थी कारणों से तथा धार्मिक आस्था में उचित विश्वास के अभाव में किए गए ये धर्मांतरण कानूनी और नैतिक रूप से अपमानजनक हैं। (As per Basic Income European Network (BIEN). (2021). About Basic Income.)

धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और धोखाधड़ी की रोकथाम के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायपालिका की भूमिका:

न्यायपालिका धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार और धोखाधड़ी से धर्मांतरण को रोकने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से, न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि:

- धर्मांतरण स्वैच्छिक है, वास्तविक विश्वास और स्वतंत्र इच्छा पर आधारित है,
- धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए, जबरदस्ती या प्रेरित न किया जाए, और
- संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता बनाए रखना।

न्यायिक मध्यस्थता का उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम रखना तथा सामाजिक न्याय संबंधी चिंताओं का समाधान करना है, लेकिन ऐसा करते समय यह सुनिश्चित करना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का शोषण न हो।

भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून:

भारत के अधिकांश राज्यों ने जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने और धर्म परिवर्तन में प्रामाणिकता की गारंटी देने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं। इन कानूनों में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल होते हैं:

- धर्मांतरण से पहले जिला प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
- धोखाधड़ी, प्रलोभन या बल के माध्यम से धर्मांतरण पर जुर्माना।

धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति और धर्म परिवर्तन करने वाले अधिकारी द्वारा धर्म परिवर्तन की अनिवार्य रिपोर्टिंग। निम्नलिखित राज्यों में ऐसे प्रावधान हैं: मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात,

हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। धार्मिक स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए बलपूर्वक प्रथाओं से बचने के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं। भारत में धर्म परिवर्तन एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जो संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले इस बात पर जोर देते हैं कि धार्मिक परिवर्तन के लिए आस्था का सिद्धांत अनिवार्य है, खासकर तब जब जो आरक्षण नीतियों के साथ ओवरलैप होता है। इस संतुलन को प्राप्त करने में न्यायिक हस्तक्षेप भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने का मूल बन जाता है। धर्मांतरण विरोधी कानून, स्वतंत्रता की रक्षा करके, बलपूर्वक और कपटपूर्ण धर्मांतरण पर आवश्यक नियंत्रण के रूप में भी काम करते हैं। कानूनी और संवैधानिक संरचना सामाजिक लाभों के शोषण को रोकते हुए वास्तविक धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाई गई है। चूंकि भारत इन जटिलताओं से जूझ रहा है, इसलिए न्यायिक विवेक और संवैधानिक नैतिकता का पालन ही धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के प्रति देश की प्रतिबद्धता को बनाए रखेगा। हमें उम्मीद है कि उपरोक्त लेख को पढ़ने के बाद इस विषय से संबंधित आपकी शंकाएँ दूर हो गई होंगी। टेस्टबुक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली तैयारी सामग्री प्रदान करता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से जबरन धर्मांतरण के मुद्दे से निपटने के लिये गंभीरतापूर्वक कदम उठाने को कहा है।

याचिका और न्यायालय का फैसला:

- इस याचिका में एक स्पष्टीकरण की मांग की गई थी कि "धमकी देकर, धोखे से उपहार और मौद्रिक लाभों के माध्यम से धर्मांतरण" संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 का उल्लंघन माना जाना चाहिये।
- दलील में कहा गया है कि वर्ष 1977 में रेव स्टेनिसलॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था: "यह ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 25 (1) प्रत्येक नागरिक को 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता' की गारंटी देता है, न कि केवल एक विशेष धर्म के अनुयायियों को और बदले में यह माना जाता है कि किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्यों को इस तरह के धर्मांतरण की जाँच के लिये कड़े कदम उठाने के निर्देश देने को कहा।
- न्यायालय ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण बेहद खतरनाक है और इससे देश की सुरक्षा व धर्म एवं अंतरात्मा की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है।
- ऐसा इसलिये है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर किसी अन्य व्यक्ति का धर्मांतरण करता है (जो कि उसके धर्म के सिद्धांतों को प्रसारित करने के सिद्धांत के प्रतिकूल है) तो यह देश

के नागरिकों को प्रदत्त अंतरात्मा की स्वतंत्रता के अधिकार को कमज़ोर करेगा।

धर्मांतरण: (As per Bacchi, C. (2009). Analysing policy: what's the problem represented to be? (1st ed). Pearson Education.)

- धर्मांतरण का तात्पर्य किसी दूसरे धर्म के बहिष्कार के क्रम में किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय के विश्वासों को अपनाना है।
- इस प्रकार "धर्मांतरण" में किसी संप्रदाय को छोड़कर दूसरे के साथ जुड़ना शामिल होता है।
    - उदाहरण के लिये ईसाई बैपटिस्ट से मेथोडिस्ट या कैथोलिक में और मुस्लिम शिया से सुन्नी में।
- कुछ मामलों में धर्मांतरण "धार्मिक पहचान के परिवर्तन और विशेष अनुष्ठानों के परिवर्तन का प्रतीक होता है"।

धर्मांतरण विरोधी कानूनों की आवश्यकता:

- **धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं:**
    - संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
        - धर्मांतरण के तहत व्यक्ति किसी अन्य धर्म वाले को अपने धर्म में शामिल करने का प्रयास करता है।
    - अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार का विस्तार धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार के अर्थ में नहीं किया जा सकता है।
    - धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्मांतरण करने वाले और परिवर्तित होने की मांग करने वाले व्यक्ति के लिये समान रूप से उपलब्ध है।
- **कपटपूर्ण विवाह:**
    - हाल के दिनों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिसमें लोग अपने धर्म को छुपाकर या गलत तरीके से दूसरे धर्म के व्यक्तियों के साथ शादी करते हैं तथा शादी के बाद ऐसे दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिये मजबूर करते हैं।
- **सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ**:
    - हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसे मामलों का न्यायिक संज्ञान लिया है।
    - न्यायालय के अनुसार, इस तरह की घटनाएँ न केवल धर्मांतरित व्यक्तियों की धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं बल्कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के भी खिलाफ हैं।

भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों की स्थिति:

- संवैधानिक प्रावधान: **अनुच्छेद-25** के तहत भारतीय संविधान धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है तथा सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता

है, हालाँकि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।

- कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को ज़बरन लागू नहीं करेगा और इस प्रकार व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी धर्म का पालन करने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिये।

- मौजूदा कानून: धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है।
  - हालाँकि वर्ष 1954 के बाद से कई मौकों पर धार्मिक रूपांतरणों को विनियमित करने हेतु संसद में निजी विधेयक पेश किये गए।
  - इसके अलावा वर्ष 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा था कि संसद के पास धर्मांतरण विरोधी कानून पारित करने की विधायी शक्ति नहीं है।
  - वर्षों से कई राज्यों ने बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किये गए धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित करने हेतु 'धार्मिक स्वतंत्रता' संबंधी कानून बनाए हैं।
- **विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून:**
  - पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किये गए धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने के लिये 'धार्मिक स्वतंत्रता' कानून लागू किया है।
    - उड़ीसा धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1967; गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2003; झारखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2017; उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2018; कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम, 2021।

धर्मांतरण विरोधी कानूनों से संबद्ध मुद्दे: (As per Althusser, L. (1970). Ideology and Ideological State Apparatuses. Verso.)

- **अनिश्चित और अस्पष्ट शब्दावली:**
  - गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन जैसी अनिश्चित और अस्पष्ट शब्दावली इसके दुरुपयोग हेतु एक गंभीर अवसर प्रस्तुत करती है।
  - यह काफी अधिक अस्पष्ट और व्यापक शब्दावली है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण से परे भी कई विषयों को कवर करती है।
- **अल्पसंख्यकों का विरोध:**
  - एक अन्य मुद्दा यह है कि वर्तमान धर्मांतरण विरोधी कानून धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु धर्मांतरण के निषेध पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
  - हालाँकि धर्मांतरण निषेधात्मक कानून द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली व्यापक भाषा का इस्तेमाल अधिकारियों द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और भेदभाव करने के लिये किया जा सकता है।

- **धर्मनिरपेक्षता विरोधी:**
  - ये कानून भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने और हमारे समाज के आंतरिक मूल्यों व कानूनी व्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय धारणा के लिये खतरा पैदा कर सकते हैं।

आगे की राह:

ऐसे कानूनों को लागू करने के लिये सरकार को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित न करते हों और न ही इनसे राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुँचती हो; ऐसे कानूनों के मामले में स्वतंत्रता एवं दुर्भावनापूर्ण धर्मांतरण के मध्य संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है।

संदर्भ: (References):

1. Gamben, G. (2005). State of exception. University of Chicago Press.
2. Althusser, L. (1970). Ideology and Ideological State Apparatuses. Verso.
3. Amnesty International. (2016). Island of despair: Australia's 'processing' of refugees on the island.
4. Basic Income European Network (BIEN). (2021). About Basic Income.
5. Bacchi, C. (2009). Analysing policy: what's the problem represented to be? (1st ed). Pearson Education.